

फर्द अहकाम
(नियम 26)



न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर

1. हरजिन्द सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक-3 सीसी, तहसील पदमपुर।
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक-3 सीसी, तहसील पदमपुर।
3. कर्मजीत कौर पत्नी हरजिन्द सिंह निवासी चक-3 सीसी, तहसील पदमपुर।
4. जसप्रीत कौर पत्नी देवेन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी चक-3 सीसी, तहसील पदमपुर।

—अपीलांद्रस

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत 16 बीबी पंचायत समिति पदमपुर।
3. ग्राम पंचायत 16 बीबी जरिये सचिव ग्राम पंचायत 16 बीबी तहसील पदमपुर।
4. जगमोहन सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक-3 सीसी, तहसील पदमपुर।
5. जसपाल सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक-3 सीसी, तहसील पदमपुर हाल निवासी 2397 Finch Ave West Unit # 1104 Toronto Ontario Canada जरिये मुख्याार आम जगमोहन सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सीसी तहसील पदमपुर।
6. जगतार सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक-3 सीसी तहसील पदमपुर।
7. जसवंत सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक-3 सीसी तहसील पदमपुर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील सं.— 27 / 2016 अंतर्गत धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम 1956
GCMS No.—2016 / 00200

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	को व तारीख अहकाम जो हुस हुकम जो तारीख मे जायी हुस
01.05.2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्त श्री बालकिशन शर्मा एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री सत्यनारायण तिवाडी उपस्थित। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोन्डेंट सं. 5 व 7 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12.04.2016 से पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक रेस्पोन्डेंट सं. 3, 4 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी थी, किंतु न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में उनकी अरुचि जाहिर करती है। अतः अपील अपीलान्त अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रेषित हो। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर